

-: प्रेस विज्ञापित :-

केन्द्रिय निबन्धक सहकारी समितियां (CRCS/CEA) भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा मल्टी स्टेट को आपरेटिव सोसायटीज एक्ट-2002 (संशोधित 2023) में प्रदत्त प्रावधान/नियम के अनुरूप बैंक के साधारण सभा/संचालक मण्डल के सदस्यों के होने वाले आगामी चुनाव में एक अनूसूचित जाति(SC) अथवा अनूसूचित जन जाति(ST) तथा 02 महिलाओं को संचालक मण्डल में सम्मिलित किये जाने हेतु आरक्षण का प्रावधान बैंक के उप-विधि (ByeLaws) में किये जाने के उपरान्त ही चुनाव कराने के निर्देश है ।

तदक्रम में The NE & E.C Railway Employees Multi-State Primary Co-operative Bank Limited गोरखपुर के "साधारण सभा की विशेष बैठक (Special General Body Meeting) में दिनांक 25.12.2024 को लिये गये निर्णय के अनुसार साधारण सभा/संचालक-मण्डल के सदस्यों का वर्ष,2025 में होने वाले चुनाव में रेलवे के 11 विभागों से चुने जाने वाले 11 संचालक मण्डल के सदस्यों (डायरेक्टरों) में से यांत्रिकी (Mechanical) विभाग अनूसूचित जाति (SC) अथवा अनूसूचित जन जाति (ST) एवं वाणिज्य (Commercial) तथा परिचालन (Operating) विभाग महिला सदस्यों (डायरेक्टरों) के लिये आरक्षित रहेंगे तथा अन्य शेष आठ विभाग क्रमशः लेखा (Account), अभियांत्रिकी (Engineering), भण्डार (Store), प्रबंध (Managing) विद्युत (Electrical), चिकित्सा (Medical), सिग्नल (Signal) तथा सुरक्षा (Security) विभाग अनारक्षित (Unreserved) रहेंगे ।

(कृष्णा करुणेश)
जिलाधिकारी /
रिटनिंग आफिसर
गोरखपुर ।


कार्यालय जिलाधिकारी / रिटनिंग आफिसर, गोरखपुर ।

पत्रांक- NE/EC/Election/2025

दिनांक- फरवरी,2025

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/सहायक रिटनिंग आफिसर, गोरखपुर ।
- 2- कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, The NE & E.C Railway Employees Multi-State Primary Co- oprative Bank Limited गोरखपुर एवं शाखा प्रभारी वाराणसी शाखा वाराणसी, शाखा प्रभारी लखनऊ शाखा लखनऊ, चेजिंग कार्यालय इज्जतनगर, सोनपुर व समस्तीपुर को नोटिस बोर्ड एवं वेवसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु ।
- 3- सहायक सूचना निदेशक, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त सूचना को समस्त दैनिक सामाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।


जिलाधिकारी /
रिटनिंग आफिसर
गोरखपुर ।